

राजस्थान सरकार

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/22826


दिनांक 26 अप्रैल, 2020

### :: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जिला मजिस्ट्रेट महोदय, बीकानेर एवं अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग बीकानेर एवं अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त पत्र के क्रम में मैसर्स मरुधर एल्म एण्ड केमिकल्स प्रा०लि० एफ-252 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा को निम्न शर्तों पर Alum की आपूर्ति भीलवाड़ा एवं बीकानेर में करने हेतु ट्रान्सपोर्टेशन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


01. प्रत्येक व्यक्तियों यथा कार्मिक/वाहन चालक, का कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
02. प्रत्येक व्यक्तियों यथा कार्मिक/वाहन चालक, वाहन, सामग्री/बॉक्स को समय समय पर सेनेटाईज किया जावे।
03. Social Distance की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
04. मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
05. उक्त व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कम से कम रखी जाना सुनिश्चित करे।
06. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियों को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिंग करवाई जाकर मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जावेगा।
07. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों की अक्षरक्ष: पालना सुनिश्चित की जावे।

  
(राजेंद्र भट्ट)  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा

10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के क्रम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
12. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाडा
13. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
14. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाडा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
15. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाडा
16. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाडा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाडा
19. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाडा
20. मैसर्स मरूधर एल्म एण्ड कमिक्ल्स प्रा०लि० एफ-252 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया भीलवाडा
21. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा